

निर्णय बड़जलास श्री के.आर.चौहान सहायक कलक्टर(RAS) देवगढ़

प्र.सं 302 / 2016 प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक 22.3.2018

अनवान

श्री नारायण सिंह पिता भंवरसिंह राजपूत नि. बगजना तहसील करेड़ा

हाल मालकोट तहसील देवगढ़

.....प्रार्थी

बनाम

श्री हेमराज नागदा माइन्स मालिक मातृभूमि ग्रेनाइट मालकोट तहसील देवगढ़

.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111,128 राज. ले. रे. एक्ट

उपस्थित:- श्री राजेश समदानी वकील प्रार्थी

श्री नरेश जोशी वकील विपक्षी

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ की ग्राम मालकोट पटवार हल्का काकरोद तहसील देवगढ़ में प्रार्थीगण के स्वामित्व आधिपत्य व खातेदारी कबजे की भूमि स्थित हैं जिसके आराजी नम्बर 128/50 रकबा 3.00 बीघा हैं। उक्त वर्णित उलिया आराजीयात पर प्रार्थी का निर्बाध रूप से काश्त करते आ रहे हैं किन्तु प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि के चारों तरफ पत्थर की पक्की बाउण्डी अथवा सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण जो प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि के सीमा से मिलते हुए पड़ोसी हैं, हर समय फसल बवाई तथा कटाई के सीमा सम्बन्धित विवाद करते रहते हैं जिससे प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमें बाजी के लिये विवश होना पड़ता है। मौके पर अशांति कायाम रहती है। जिससे प्रार्थीगण उसकी भूमिका शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग काश्त वगैरह नहीं कर पा रहे हैं यदि प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की बादनपती पत्थरगढी हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा तथा प्रार्थी उकसी भूमिका का शान्तिपूर्वक काश्त उपयोग उपभोग वगैरह कर सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युत्तर विपक्षी गण ने कोई जवाब पेश नहीं

किया बल्कि विपक्षी को सम्मन जारी हो जाने पर भी अनुपस्थित रहे जिसपर उनके विरुद्ध एकतरफा कारवाई की गई। वकील प्रार्थी ने विपक्षी के विरुद्ध को कारवाई नहीं करने बाबत निवेदन किया जिसपर विपक्षी के विरुद्ध कारवाई डोप की गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया की प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि के चारों तरफ पत्थर की बाउण्डी अथवा स्थाई सीमा चिन्ह नहीं हैं जिससे विपक्षीगण जो प्रार्थीगण की भूमि से मिलते हुए पड़ोसी है हर समय फसल बुवाई व कटाई के प्रार्थीगण की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। कभी प्रार्थीगण की भूमि को हांक लेते है कभी घास फसल काट लेते हैं यदि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की बादनपती पत्थरगढी हो जाती है तो इस समस्या का स्थाई समाधान हो जायेगा।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील प्रार्थीगण की बहस पर ममन किया। ग्राम देवगढ़ पटवार हलका देवगढ़ तहसील देवगढ़ की नकल जमाबंदी सं० 2069 से 2072 में प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार हैं। खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढी करा सकता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम देवगढ़ पटवार हलका देवगढ़ तहसील देवगढ़ में स्थित प्रार्थी गण की खातेदारी आराजीनम्बर $\frac{128}{50}$ रकबा 3.00 बीघा भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे की प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा करा पक्षकारान को सूचित करा मौके पर पत्थरगढी की जाकर रिपोर्ट पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार को नम्बर से कम की जावें। निर्णय आज दिनांक 22.3.2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देवगढ़ जिला राजसमंद
देवगढ़, जिला राजसमंद